

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/विविध/321/2008-

/राँची, दिनांक

-: अधिसूचना :-

ढाई करोड़ रुपये से अधिक लागत के जल संसाधन विभाग की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं०- 1/पी०एम०सी०/321/08-1413 दिनांक 11.12.2008 द्वारा लागू एवं अधिसूचना सं०-240 दिनांक 15.03.2018 द्वारा संशोधित SBD (Standard Bidding Document) के Section-3 (Conditions of Contract) की कड़िका-51 को पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का संकल्प सं०- प०नि०वि०/विविध-06-33/2007 (अंश-I)- 2146 (S) राँची दिनांक 09.09.2020 द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

Sl. No.	Clause	Provision as pre Old Standard Bid Document of WRD	Provision in Revised Standard Bid Document
1	Section-3 (Conditions of Contract)		
	51.	Advance Payment	Extension of the Intended Completion Date
		The Employer shall make advance payment to the Contractor of the amounts stated in the Contract Data by the date stated in the Contract Data, against provision by the Contractor of an Unconditional Bank Guarantee in a form and by a bank acceptable to the employer in amounts and currencies equal to the advance payment. The guarantee shall remain effective until the advance payment has been repaid, but the amount of guarantee shall be progressively reduced by the amounts repaid by the Contractor. Interest will not be charged on the advance payment.	“The Employer shall make advance payment to the Contractor of the amounts stated in the Contract Data by the date stated in the Contract Data, against provision by the Contractor of an Unconditional Bank Guarantee in a form and by a bank acceptable to the employer in amounts and currencies equal to the advance payment. The guarantee shall remain effective until the advance payment has been repaid. But the amount of guarantee shall be progressively reduced by the amounts repaid by the Contractor. Interest will be charged @ 10% quarterly compounded. The interest will be charged with the installment of recovery of mobilization advance.”

2. Equipment Advance हेतु भी यह व्यवस्था लागू होगी।
3. Standard Bidding Document के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा आमंत्रित एवं आमंत्रित किये जाने वाले निविदाओं पर उपरोक्त संशोधन लागू होगा।

ह०/-
(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/321/2008- /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी 200 (दो सौ) प्रक्रियाँ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु अग्रसारित।

ह०/-

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/321/2008- /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/321/2008- /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/अभियंता प्रमुख-I/II के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/321/2008- 656 /राँची, दिनांक 22-12-20

प्रतिलिपि :- वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)